



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय कुमार फतेहगढ़ के पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशलत नेतृत्व में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 96/23 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. अरुण कुमार पुत्र स्व० दथरथ सिंह 2. कुसुमा देवी पत्नी स्व० दथरथ सिंह 3. वरुण यादव (देवर) पुत्र स्व० दथरथ सिंह निवासी गण ग्राम मोहल्ला कृष्णबलराम नगर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद में वांछित चल रहे अभियुक्तगण को मुखवीर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार चौबे कोतवाली मोहम्मदाबाद मय फोर्स के रोहिला चौराहे से दो नफर अभियुक्तगण 1. अरुण कुमार पुत्र स्व० दथरथ सिंह 2. कुसुमा देवी पत्नी स्व० दथरथ सिंह को आज समय 09.20 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।



अपराधिक विवरण –

1. अरुण कुमार पुत्र स्व० दथरथ सिंह निवासी ग्राम मोहल्ला कृष्णबलराम नगर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद - मु०अ०सं० 96/23 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट
2. कुसुमा देवी पत्नी स्व० दथरथ सिंह निवासी ग्राम मोहल्ला कृष्णबलराम नगर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद - मु०अ०सं० 96/23 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार चौबे
2. उ०नि० हरीराम
3. हे०का० 458 अनिल कुमार
4. का० 166 भूपेन्द्र सिंह
5. म०का० 321 प्रीति

Meticulous Investigation & Conviction

Fatehgarh Police



पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में प्रभावी व सतर्क पैरवी से हुई महिला सम्बन्धी अपराध दहेज हत्या(304बी भा0द0वि0) में 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7,000 /- रुपये के अर्थदण्ड की

सजा:-

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर के कुशल निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निकट पर्यवेक्षक एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के कुशल नेतृत्व में थाना फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0-346/16 एस0टी0नं0- 209/16 अन्तर्गत धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र राधाकृष्ण निवासी लालदरवाजा थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय, के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकार को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम व कोर्ट पैरोकार तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये दिनांक 31.05.2023 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश ADJ-प्रथम फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र राधाकृष्ण निवासी लालदरवाजा थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्री तेजसिंह राजपूत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी।



हे0का0 अरविन्द कुमार थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़









